


बिहार सरकार  
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

-----  
आदेश

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के नियंत्रणाधीन कार्यरत श्री ब्रज किशोर सदा, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, सुपौल सदर जिन्हें विभागीय आदेश ज्ञापांक 3546 दिनांक 07.06.2013 द्वारा सरकार के आदेश की अवहेलना करने के आरोप में निलम्बित किया गया था, को भविष्य में सरकार के आदेश के प्रति सचेत रहने की सख्त चेतावनी देते हुये निलम्बन से मुक्त किया जाता है।

श्री सदा अधिसूचना संख्या 4099 दिनांक 03.07.2012 के आलोक में पूर्व पदस्थापित स्थान पोठिया किशनगंज में अपना योगदान देना सुनिश्चित करेंगे।

  
(सत्य प्रकाश)

विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक-प्र08गो0नि0 सुपौल-20/2013 - 4172

/खाद्य,पटना/दिनांक 3.7.2013

प्रतिलिपि- प्रमंडलीय आयुक्त, कोशी प्रमंडल सहरसा/जिला पदाधिकारी, सुपौल/किशनगंज/जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सुपौल/किशनगंज/संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी-3 खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग/श्री अफजल आजमी, आई0टी0 मैनेजर/श्री ब्रज किशोर सदा, प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, सुपौल सदर, सम्प्रति, प्रमंडलीय आयुक्त का कार्यालय, कोशी प्रमंडल सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
विशेष कार्य पदाधिकारी।